बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग

संoसंo–भवन / 11 / आरोप(सीतामढ़ी)–022 / 2015.......8152 (भ).... / पटना, दिनांक–8/9/17

:: संकल्प ::

श्री हरिगोपाल सिंह, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, सीतामढ़ी अतिरिक्त प्रभार भवन प्रमंडल, शिवहर सम्प्रति कार्यपालक अभियंता, भवन निरूपण अंचल संख्या–01, पटना के विरूद्ध समादेशवाद संख्या–......... / 2015, उमेश कुमार बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में ससमय प्रतिशपथ –पत्र दायर नहीं करने, मुख्यालय से बाहर एवं अवकाश में जाने से पूर्व मुख्यालय से अनुमति नहीं प्राप्त करने, आरा भवन प्रमंडल के पदस्थापन काल में समाहरणालय भवन, आरा के निर्माण कार्य मे मापी से ₹1,47,49779 / –का अधिक भुगतान संवेदक को करने एवं दस कोर्ट भवन, आरा के निर्माण कार्य में ₹29,67.866 / –का संवेदक को अधिक भुगतान करने तथा दिनांक–25.04.2015 एवं दिनांक–26.04.2015 को आये भूकम्प की त्रासदी के समय मुख्यालय से अनधिकृत रूप से गायब रहने आदि जैसा कि आरोप प्रपत्र–''क'' में अंतर्विष्ट है, के संदर्भ में विभागीय पत्रांक–6694 (भ0) दिनांक–12.07.2016 पत्रांक–7950 (भ0) दिनांक–17.08.2016 द्वारा श्री सिंह से स्पष्टीकरण की माँग की गयी। किन्तु श्री सिंह द्वारा कोई स्पष्टीकरण समर्पित नहीं किया गया। इस प्रकार श्री सिंह द्वारा गम्भीर अनियमितता बरतने के साथ–साथ विभागीय निदेश की भी अवहेलना की गयी है।

2. अतएव श्री सिंह के विरूद्ध उक्त वर्णित आरोपों के सन्दर्भ में आरोप प्रपत्र–''क'' का गठन करते हुये विभागीय पत्रांक–2265 दिनांक–20.03.2017 द्वारा स्पष्टीकरण की माँग की गयी। श्री सिंह द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित नहीं किये जाने के कारण उक्त आरोपों के लिए उनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया गया।

3. अतः सरकार के निर्णयानुसार श्री हरिगोपाल सिंह, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, सीतामढ़ी अतिरिक्त प्रभार भवन प्रमंडल, शिवहर सम्प्रति कार्यपालक अभियंता, भवन निरूपण अंचल संख्या–01, पटना के विरूद्ध संलग्न अनुबंध (प्रपत्र–''क'') में अन्तर्विष्ट आरोपों की जाँच विहित रीति से करने हेतु बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम–17 के अधीन विभागीय कार्यवाही संस्थित की जाती है जिसमें विभागीय जाँच आयुक्त, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी तथा सरकार का पक्ष प्रस्तुत करने के लिए श्री शोभनाथ कुमार, योजना अभियंता, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

4. उक्त विभागीय कार्यवाही संस्थित करने एवं संचालन पदाधिकारी तथा प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त करने के प्रस्ताव पर माननीय मुख्यमंत्री की सहमति प्राप्त कर ली गयी है।

5. श्री हरिगोपाल सिंह, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता से अपेक्षा की जाती है कि वे संचालन पदाधिकारी के समक्ष आदेश निर्गत की तिथि से दस कार्य्र दिवसों के अन्दर अपना बचाव पक्ष लिखित रूप में उपस्थित हो कर उपलब्ध करायेंगे।

आदेशः—आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति सभी संबंधितों को जानकारी एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित की जाय।

बिहार राज्पाल के आदेश से,

7/9/17

— (साकेत कुमार)
सरकार के अपर सचिव,
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक— भवन / 11 / आरोप(बेतिया)—23 / 2016........8152 (गो)........ / पटना, दिनांक— 8/9/17

प्रतिलिपिः—आरोप प्रपत्र—''क'' एवं साक्ष्य की प्रति एवं चेक स्लिप के साथ विभागीय जाँच आयुक्त, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

अनुरोध है कि विभागीय कार्यवाही यथाशीघ्र संपन्न कर नियमानुसार निर्धारित अवधि में जाँच प्रतिवेदन सभी अभिलेख सहित उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

अनु0—यथोक्त।

7/9/17

— सरकार के अपर सचिव,
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक—भवन / 11 / आरोप(बेतिया)—23 / 2016...8152 (गो)... / पटना, दिनांक— 8/9/17

प्रतिलिपिः—आरोप प्रपत्र—''क'' एवं साक्ष्य की प्रति के साथ श्री शोभनाथ कुमार, योजना अभियंता, अभियंता प्रमुख का कार्यालय, भवन निर्माण विभाग—सह—(प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी), बिहार, पटना / श्री हरिगोपाल सिंह, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, सीतामढ़ी अतिरिक्त प्रभार भवन प्रमंडल, शिवहर सम्प्रति कार्यपालक अभियंता, भवन निरूपण अंचल संख्या—01, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

अनु0—यथोक्त।

7/9/17

—सरकार के अपर सचिव,
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक— भवन / 11 / आरोप(बेतिया)—23 / 20166....8152 (गो)... / पटना, दिनांक— 8/9/17

प्रतिलिपिः—महालेखाकार, बिहार, पटना / प्रभारी पदाधिकारी, ई0—गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सी0डी0 एवं दो हार्ड कॉपी के साथ संलग्न करते हुए सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु0—यथोक्त।

7/9/17

—सरकार के अपर सचिव,
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक— भवन / 11 / आरोप(बेतिया)—23 / 2016........8152 (गो)... / पटना, दिनांक— 8/9/17

प्रतिलिपिः—माननीय मंत्री, भवन निर्माण विभाग के आप्त सचिव / प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग के प्रधान आप्त सचिव / प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग / ग्रामीण कार्य विभाग / अभियंता प्रमुख, भवन निर्माण विभाग / पथ निर्माण विभाग / ग्रामीण कार्य विभाग / सभी मुख्य अभियंता, भवन निर्माण विभाग / अधीक्षण अभियंता, भवन अंचल, मुजफ्फरपुर / मोतिहारी / निरूपण अंचल संख्या—01, पटना / सभी उप सचिव, भवन निर्माण विभाग / सभी अवर सचिव, भवन निर्माण विभाग / आई0टी0 मैनेजर, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

7/9/17

सरकार के अपर सचिव,